फ़ैक्स –0591–2452913

कार्यालय

अधिशासी अभियन्ता, एकादश खण्ड, उत्तर प्रदेश जल निगम,

आशियाना फेस –1, निकट पानी की टंकी, मुरादाबाद–244001

पंत्राक नं0 1279 / ई-9 / 15 दिनांक 21.12.2020

सेवा में,

ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम प्रधान
ग्राम सभा – पल्लूपुरा घोसी
विकास खण्ड – मुरादाबाद
जिला मुरादाबाद।

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (सांसद आदर्श ग्राम योजना) के अन्तर्गत निर्माण की गई पल्लूपुरा घोसी ग्रामीण पाइप पेयजल योजना (अनुमानित लागत रू0 184.83 लाख) के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ग्राम पल्लूपुरा घोसी, विकास खण्ड मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद मे एक पाइप पेयजल योजना निर्माण की गई है, जो चालू अवस्था में है। योजना के अन्तर्गत 306 नग पेयजल गृह संयोजन कराये गये है सूची संलग्न। उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0 1134 / 38–5–11–56सम / 2010 ग्राम्य विकास अनुभाग–5, लखनऊ दिनांक 20 जून 2011 के अनुसार एकल ग्राम की पेयजल योजना के रख–रखाव से सम्बन्धित समस्त कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किये जायेगें। योजना हस्तान्तरण के उपरान्त पेयजल गृह संयोजन उपभोकताओं से रू0 50.00 प्रति पेयजल संयोजन प्रति माह की दर से जल मूल्य वसूली भी ग्राम पंचायत स्तर से ही की जायेगी। अतः उक्त शासनादेश के क्रम में कृपया पेयजल योजना हस्तगत करने का कष्ट करें।

यहाँ आपको यह भी अवगत कराना है कि हस्तान्तरण के तीन माह तक योजना से कोई तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसको ठीक करने के लिये जल निगम तत्पर रहेगा।

संलग्नक – कम्पलीशन प्लान
कार्य का विवरण

भवदीय

(मोहित राय)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, अष्टम मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
4. खण्ड विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
5. सहायक अभियन्ता / जूनियर इंजीनियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिशासी अभियन्ता